

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

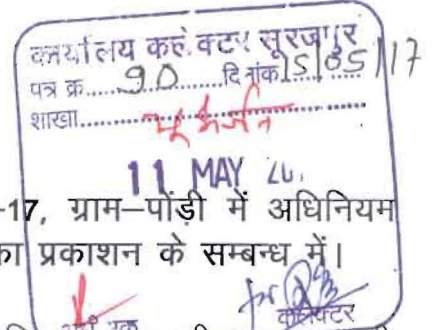
क्रमांक /
प्रति,

/मु.लि./2017

सूरजपुर, दिनांक

मई 2017

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव (छ.ग.),



विषय :- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2016-17, ग्राम-पांडी में अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन के सम्बन्ध में।

विषयांतर्गत भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधिसूचना की तीन प्रतियाँ संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सही
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 685^A /मु.लि./2017
प्रतिलिपि :-

सूरजपुर, दिनांक 08 मई 2017

1. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा/एन.आई.सी. शाखा, जिला कार्यालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। अधिसूचना की एक-एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को समुचित सरकार के वेब साइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार, रामानुजनगर को अधिसूचना की प्रतियों सहित संबंधित ग्राम पंचायत, एवं तहसील कार्यालय, रामानुजनगर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।
3. तहसीलदार, सूरजपुर को अधिसूचना की प्रतियों सहित जिला कार्यालय, अ.वि.अ. (रा.) कार्यालय, सूरजपुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना**

सूरजपुर, दिनांक 13/04/2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24 /अ-82/16-17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

--: अनुसूची :-

भूमि का प्रकार					धारा-12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पोंड़ी प.ह.नं. 1	20	0.064	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग-सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन
			14	0.004		
			15	0.056		
			16	0.052		
			42	0.084		
			50	0.040		
			52	0.060		
			54	0.004		
			55	0.032		
			77	0.124		
			104/1	0.008		
			67	0.068		
			70	0.052		
			74	0.116		
			71	0.004		
			78	0.040		
			79	0.032		
			80	0.004		
			103	0.020		
			134	0.008		
			137	0.088		
			138	0.044		
			140/1	0.048		
			772	0.060		
			805	0.056		
			829	0.040		
			132/1	0.040		
			221/3	0.052		
			133	0.064		
			126	0.032		

	127	0.016	
	129	0.036	
	130	0.056	
	132/3	0.004	
	125	0.048	
	128/2	0.004	
	184	0.064	
	185	0.032	
	288	0.128	
	292	0.100	
	321	0.084	
	325	0.080	
	285	0.024	
	286	0.024	
	290	0.004	
	291	0.040	
	326	0.120	
	319	0.020	
	320	0.072	
	276	0.040	
	278	0.020	
	280	0.028	
	297	0.028	
	2208/287	0.004	
	284	0.004	
	822	0.016	
	826	0.028	
	827	0.020	
	828	0.012	
	830	0.032	
	831	0.048	
	788	0.052	
	838	0.040	
	773	0.048	
	777	0.020	
	778	0.008	
	843	0.072	
	331/2	0.004	
	263	0.008	
	842	0.004	
	277	0.008	
	846	0.072	
	279	0.012	
	267	0.020	
	274	0.104	
	273	0.016	
	266	0.152	
	229	0.012	
	258	0.032	

101

			249	0.052		
			259	0.024		
			222	0.100		
			220	0.132		
			32/1	0.032		
			32/2	0.060		
			296/2	0.024		
			296/1	0.016		
			774/1	0.010		
			774/2	0.006		
			250/1	0.036		
			776	0.004		
			834	0.004		
			835	0.004		
			836	0.004		
			837	0.008		
			840	0.032		
			250/2	0.044		
		योग :-	97	3.908		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजनाओं की बावत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर, जिला-सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)

कलेक्टर,

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग